



अग्निपथ योजना और प्रॉमिसिरी एस्टोपेल का सदिधांत

प्रलिस के लयः

सरवोच न्यायालय, अग्निपथ योजना, प्रॉमिसिरी एस्टोपेल का सदिधांत

मेन्स के लयः

प्रॉमिसिरी एस्टोपेल के सदिधांत पर सरवोच न्यायालय का रुख

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दल्लि उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भरती के लयि [अग्निपथ योजना](#) को बरकरार रखने का फैसला लयि, दल्लि उच्च न्यायालय के इस फैसले को कुछ याचकियों के माध्यम से [सरवोच न्यायालय](#) में चुनौती दी गई, जसि खारज़ि कर दयि गया है।

- **अग्निपथ योजना** की घोषणा के साथ ही **थलसेना और वायु सेना के लयि पहले की भरती प्रक्रया को रद्द कर दयि गया** जसि कारण शॉर्टलसि्ट कयि गए उम्मीदवारों की याचकियों से संबंघति **प्रॉमिसिरी एस्टोपेल के सदिधांत पर** सरवोच न्यायालय में तर्क प्रस्तुत कयि गया था।

प्रॉमिसिरी एस्टोपेल का सदिधांत:

- **परचयः**
 - प्रॉमिसिरी एस्टोपेल **संवदितात्मक कानूनों** के रूप में वकिसति एक अवधारणा है। इसके तहत एक "वचनकर्त्ता/प्रॉमिसिरी" **वचिार करने योग्य नहीं होने** के आधार पर कसिी समझौते से पीछे हट सकता है।
 - इस सदिधांत का उपयोग न्यायालय में कसिी वादी द्वारा अनुबंध के नषिपादन को सुनश्चिति करने अथवा अनुबंध के गैर-नषिपादन की स्थिति में मुआवज़ा प्राप्त करने के लयि **प्रतवािदी के खिलाफ कयि जाता है**।
- **संबंघति मामले:**
 - **छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल नरेंद्रदास हरभाई (1981)** मामले में सरवोच न्यायालय ने सदिधांत को लागू कयि जाने संबंघी एक चेकलसि्ट सूचीबद्ध की।
 - वचनबद्धता में स्पष्टता होनी चाहयि।
 - वादी ने उस वचन पर यथोचति रूप से भरोसा करते हुए काम कयि हो।
 - वादी को नुकसान हुआ हो।
- **अग्निपथ याचकिया पर सरवोच न्यायालय का वर्तमान रुखः**
 - सरवोच न्यायालय के अनुसार, **"प्रॉमिसिरी एस्टोपेल हमेशा व्यापक जनहति के अधीन होता है"**।
 - इसके अतरिकित यह कहा गया है कि **"यह एक सार्वजनकि रोज़गार है, न कएिक अनुबंध मामला जहाँ सार्वजनकि कानून में वचनबद्धता लागू की गई थी"** और "इस सदिधांत को लागू करने का सवाल इस मामले में नहीं उठेगा।"

अग्निपथ योजना:

- **परचयः**
 - यह युवाओं को देशभक्तिके प्रतप्रेरति करने हेतु चार वर्ष की अवधिके लयि सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमतदिता है।
 - सेना में शामिल होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे।
 - नई योजना के तहत वार्षकि तौर पर लगभग **45,000 से 50,000 सैनकियों** की भरती की जाएगी।
 - हालाँकि चार वर्ष के बाद बैच के केवल **25%** सैनकियों को **15 वर्ष** की अवधि हेतु संबंघति सेवाओं में वापस भरती कयि जाएगा।
- **उद्देशयः**

- इससे **भारतीय सशस्त्र बलों** की औसत आयु के संदर्भ में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है।
 - इस योजना में कल्पना की गई है कबिलों के लिये औसत आयु वर्तमान में 32 वर्ष है, जो छह से सात वर्ष घटकर 26 हो जाएगी।
- **पात्रता मापदंड:**
 - यह केवल **अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिये है** (वे जो अधिकृत अधिकारियों के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं)।
 - सेना में सर्वोच्च पद **कमीशन अधिकारी** का होता है। वे **भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक** रखते हैं। वे अक्सर **राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति** के अधीन आयोग में कार्य करते हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।
 - **17.5 वर्ष से 23 वर्ष** के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
- **अग्निवीरों को मिलने वाले लाभ:**
 - 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को **11.71 लाख रुपए की 'सेवा नधि' इकमुश्त** दी जाएगी, जिसमें उनका अर्जति ब्याज शामिल होगा।
 - उन्हें **चार वर्ष के लिये 48 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा** भी मिलेगी।
 - मृत्यु के मामले में **1 करोड़ रुपए** से अधिक भुगतान होगा, जिसमें सेवा न की गई अवधि के लिये भुगतान भी शामिल है।
 - सरकार चार वर्ष बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सहायता करेगी। उन्हें **सरकार द्वारा सकल सर्टफिकेट और ब्रिजि कोर्स** मुहैया कराया जाएगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/agnipath-scheme-and-doctrine-of-promissory-estoppel>

